

कार्यालय आदेश संख्या - 308/NG/2019/Engg./SPJ

श्री मुकेश कुमार भंडारी पुत्र श्री विशेश्वर भंडारी, ट्रैकमैन्टेनर-III, तिरुच्चिरापल्लि मंडल, दक्षिण रेलवे, वेतनमान-5200-20200+1900, लेवल-2 (पदावनत पद ट्रैकमैन्टेनर-IV लेवल-1) जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/तिरुच्चिरापल्लि मंडल, दक्षिण रेलवे का पत्र संख्या:- P(S)677/1/1/IRT/T.Man/Other Railway/TPJ/Vol-II Dated 04-01-2017 एवं महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर का पत्र संख्या:- ECR/HRD/283/IRT/Engg./TM/17 Dated 17.04.2017 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/ तिरुच्चिरापल्लि का पत्र संख्या:- T/P.677/I/EA/IRT/Vol-IV Dated 12-05-2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 07.02.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को ट्रैकमैन्टेनर-IV के पद पर सिसेई(पीवे)/बनमंखी, के अधीन वेतनमान 5200-20200+1800, (लेवल-1) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 07.02.2020 से 20.02.2020 तक प्रतीक्षारत अवधि तथा दिनांक 21.02.2020 से दिनांक 25.05.2020 तक 95, दिनांक 27.05.2020 से दिनांक 01.06.2020 तक 06 दिन, दिनांक 02.06.2020 से दिनांक 10.06.2020 प्रतीक्षारत अवधि एवं दिनांक 11.06.2020 से 16.06.2020 तक 06 दिन कुल 107 दिन अवधि चूकि भंडारी के छुट्टी खाता में 104 दिन औसत वेतन अवकाश शेष है इसलिए भंडारी के पक्ष में 104 दिन औसत वेतन अवकाश तथा 03 दिन बना वेतन अवकाश पर विचार किया जा सकता है।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री मुकेश कुमार भंडारी का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



Mukesh Kumar Bhandari



मंडल कार्मिक अधिकारी
सं0- का/283/अंतर मंडल-रेल/अभि0/सम0/सम0

(आर.आर.लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर
दिनांक 30.06.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/तिरुच्चिरापल्लि मंडल, दक्षिण रेलवे - पिन कोड-620001, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिकरणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
02. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर।
03. वमविप्र/समस्तीपुर।
04. सिसेई(पीवे)/बनमंखी -उक्त कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
05. मुकार्याधी/अभि0 संवर्ग-उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करें।
06. मुकार्याधी/विविध बिल, कार्यालय में।
07. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रक्रेष्ट।
08. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
09. संबंधित कर्मचारी-आप सिसेई(पीवे)/बनमंखी को रिपोर्ट करें।
10. अभिलेख हेतु।

मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर